ओमप्रकाश बनाम नाथूलाल

वाद सं. 111/2022

क्र.सं.	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	दिनांक
		आज दिनांक 13/3/24 को पत्रावली पेश मुंसिफ अतिरिक्त मंसूर [illegible] कर्मचारियों/कार्य बहिष्कार/[illegible] किये जाने के कारण, [illegible] पी.ओ.एस. द्वारा कार्य में [illegible] अतः पत्रावली पूर्वानुसार दिनांक 18/3/24 पर पेश हो।	
	18/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष पत्रावली पास्ते [illegible] कार्यवाही हेतु दिनांक 20/3/24 को पेश है। Mukesh सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय	
	20/3/24	मूलवाद के अनुक्रम में पत्रावली नियत पेशी से पूर्व आदेश पेशी पर ली गई। वकील वादी इसाद मूलवाद में प्रार्थना पत्र [illegible] 24 जाने वाद पत्र लिया गया है जिसे स्वीकार किया जाकर वादी का वाद बिना से खारिज किया गया है। प्रार्थना मूलवाद का ही भाग है। मूलवाद खारिज हो जाने पर प्रार्थना को मुकदमे चलाये जाने का कोई औचित्य नहीं है। प्रार्थी इसाद [illegible] दस्तावेज नोटिस पर [illegible] किये जिसकी पहचान वकील वादी इसाद की गई। मूलवाद के अनुक्रम में वादी/प्रार्थी का प्रार्थना दिनांक 7/9/22 को पारी अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा को समाप्त करते हुए खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर डिक्री बेबाक होकर शामिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 20/3/24 को लिखाया जाकर खुले इजलास सुनाया गया। Mukesh सहायक कलक्टर जयपुर शहर द्वितीय	

अतिरिक्त
(मुंसिफ मंसूर)
20-3-24